

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फ़ैक्स: 05962.232182ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com
पत्रांक 5499 /12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 10-5-2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय - मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत मजखाली मण्डल के मटीला से गैरोली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 1.500 कि०मी० (प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/149731/2021)।

सन्दर्भ: अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 3089/एफ०पी०/यू०के०/रोड/149731/2021 दिनांक 24.06.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में नोडल अधिकारी, देहरादून द्वारा आपत्ति लगायी गयी है, जिसका निराकरण प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन कर दिया गया है, जो निम्नवत है :-

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	प्रस्ताव को वाइण्डिंग कर प्रेषित किया जाये।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव को वाइण्डिंग कर लिया गया है।
2	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1 2 व 3 को प्रस्ताव में क्रमवार संलग्न करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1 2 व 3 को प्रस्ताव में क्रमवार संलग्न कर लिये गये हैं।
3	प्रस्ताव में पृष्ठ संख्या अंकित करते हुये विषयक सूची संलग्न की जाय।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में पृष्ठ संख्या अंकित करते हुये विषयक सूची संलग्न कर ली गयी है।
4	प्रस्ताव में ऑनलाईन पार्ट- I, A(iii) में प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित नहीं किया गया है। प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में ऑनलाईन पार्ट- I, A(iii) में प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित कर लिया गया है।
5.	प्रस्ताव में एन०पी०वी० आंकलन नई दरों के अनुसार आंकलित कर संलग्न करें।	प्रस्ताव में एन०पी०वी० का आंकलन नई दरों के अनुसार ही किया गया है।
6	प्रस्ताव में हवाई दूरी के प्रमाण पत्र को आई०टी० सेल से प्राप्त कर प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में आई०टी०सेल से प्राप्त किया गया हवाई दूरी का प्रमाण पत्र संलग्न कर लिया गया है एवं ऑनलाईन पार्ट I के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु सं० 46 पर भी अपलोड कर लिया गया है।
7	प्रस्ताव में वन अधिकार अधिनियम 2005 से सम्बन्धित सूचना ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित प्रपत्र क्र०सं० 6 से 11 तक संलग्न कर लिये गये हैं एवं ऑनलाईन पार्ट I के सैक्शन K में भी अपलोड कर लिये गये हैं।
8	प्रस्ताव में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची ऑनलाईन पार्ट I के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु सं० 45 में अपलोड कर ली गयी है एवं प्रस्ताव में भी संलग्न कर लिया गया है।
9	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में

	में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची ऑनलाईन पार्ट I के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु सं0 45 में अपलोड कर ली गयी है एवं प्रस्ताव में भी संलग्न कर लिया गया है।
10	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र 16 बॉज वृक्षों के पातन के प्रमाण पत्र में वन संरक्षक के हस्ताक्षर अपेक्षित हैं।	यह बिन्दु वन संरक्षक कार्यालय से सम्बन्धित है।
11	प्रस्ताव में संलग्न प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की पठनीय प्रति प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में पठनीय प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्न कर लिया गया है।
12	प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले पेड़ों की गणना 7 मीटर एवं 9 मीटर Row में अलग-अलग करते हुये कुल प्रभावित पेड़ों की व्यासवार सूची ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले पेड़ों की गणना सूची (7 मीटर एवं 9 मीटर) ऑनलाईन पार्ट I के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु सं0 45 में अपलोड कर ली गयी है एवं प्रस्ताव में भी संलग्न कर लिया गया है।
13	प्रस्ताव में ऑनलाईन पार्ट-II के पैरा-13 Additional information में प्रपत्रों को उनके नाम के साथ अपलोड करने का कष्ट करें।	प्रभाग स्तर से आपत्ति का निराकरण ऑनलाईन पार्ट II में कर दिया गया है।
14	प्रस्ताव में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले पेड़ों की गणना सूची (7 मीटर एवं 9 मीटर) ऑनलाईन पार्ट I के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु सं0 45 में अपलोड कर ली गयी है। एवं प्रस्ताव में भी संलग्न कर लिया गया है।
15	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की डी0एस0एस0 एनालिसिस की रिपोर्ट अपलोड नहीं की गयी है। उपरोक्त हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 2044/1-42(III) दिनांक 22.02.2022 एवं शासन के पत्रांक 290/X-3-22/5(03)2019 के द्वारा पूर्व में लिखा गया है। अतः डी0एस0एस0 एनालिसिस रिपोर्ट अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव में अपलोड करने का कष्ट करें।	प्रभाग स्तर से डी0एस0एस0 एनालिसिस किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अतः आपत्ति का निराकरण किये जाने हेतु डी0एस0एस0 एनालिसिस रिपोर्ट के सम्बन्ध में उच्च स्तर को लिखने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



प्रभागीय वन अधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।